संख्या-470/2025/39-4-2025/001-10-11-2024

प्रेषक,

राज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0,
लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक अप्रैल, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या-82 के अन्तर्गत सतर्कता निदेशालय के राजस्व लेखा के विभिन्न मदों में प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या-82 राजस्व लेखाशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104 सतर्कता 04 सतर्कता निदेशालय के राजस्व लेखा (मतदेय) के विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि रु0 8511.73 लाख (रु0 पच्चासी करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को प्रस्तर-2 की तालिका में अंकित लेखाशीर्ष/मद के विवरणानुसार आहरित कर व्यय करने हेतु निम्नवत् शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निर्वतन पर रखी जा रही उपर्युक्त धनराशि को व्यय करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा तथा यात्रा-व्यय, कार्यालय व्यय, मोटर गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा टेलीफोन पर व्यय की मदों में निर्दिष्ट सीमा तक सीमित रखा जायेगा। गुड्स एण्ड प्रोक्योयरमेन्ट मैनुअल के प्राविधानों तथा इस विषय पर समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार व्यय किया जायेगा।

(2) आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- बी-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि का व्यय फाइनेंशियल हैण्डबुक व वित्तीय नियम संग्रह एवं अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के अनुरूप ही किया जायेगा तथा व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता

प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि के किसी मद का अन्तरण दूसरे मद में न किया जाय और यदि ऐसा करना अति आवश्यक हो तो उसका औचित्य स्पष्ट करते हुए शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करते हुए ही की जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा तथा आवश्यकता के अनुसार ही धनराशि का आहरण कोषागार से किया जायेगा एवं आहरित की गई धनराशि पी०एल०ए०/बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह शासन, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 व महालेखाकार कार्यालय, उ०प्र० प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) आउटसोर्सिंग के मद में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व समय-समय पर वित्त विभाग/कार्मिक विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/श्रम विभाग के निर्गत निर्देशों/आदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2070001040400 (सतर्कता निदेशालय)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	01 वेतन	46,00,00,000 (रुपये छियालीस करोड़ मात्र)
2	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	02 मजदूरी	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
3	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	27,60,00,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ साठ लाख मात्र)
4	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	04 यात्रा व्यय	90,00,000 (रुपये नब्बे लाख मात्र)
5	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
6	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	06 अन्य भत्ते	1,85,00,000 (रुपये एक करोड़ पचासी लाख मात्र)
7	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	07 मानदेय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
8	082	2070001040400	08	29,00,000

		सतर्कता निदेशालय	कार्यालय व्यय	(रुपये उनतीस लाख मात्र)
9	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	09 विद्युत देय	62,40,000 (रुपये बासठ लाख चालीस हजार मात्र)
10	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	10 जलकर / जल प्रभार	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
11	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	13,40,000 (रुपये तेरह लाख चालीस हजार मात्र)
12	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	21,26,000 (रुपये इक्कीस लाख छब्बीस हजार मात्र)
13	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	9,87,000 (रुपये नौ लाख सत्तासी हजार मात्र)
14	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	81,28,000 (रुपये इक्यासी लाख अट्ठाईस हजार मात्र)
15	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
16	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	32,30,000 (रुपये बत्तीस लाख तीस हजार मात्र)
17	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2,22,000 (रुपये दो लाख बाईस हजार मात्र)
18	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	23 गुप्त सेवा व्यय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
19	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	29 अनुरक्षण	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
20	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	42 अन्य व्यय	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
21	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	4,60,000 (रुपये चार लाख साठ हजार मात्र)
22	082	2070001040400	45	5,00,000

		सतर्कता निदेशालय	अवकाश यात्रा व्यय	(रुपये पाँच लाख मात्र)
23	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
24	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
25	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
26	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	2,80,00,000 (रुपये दो करोड़ अस्सी लाख मात्र)
27	082	2070001040400 सतर्कता निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	16,20,000 (रुपये सोलह लाख बीस हजार मात्र)
	कुल			**85,11,73,000** **(रुपये पचासी करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार मात्र)**

महायोग	85,11,73,000 (रुपये पचासी करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार सिंह)
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 470(1)/2025/39-4-2025/001-10-11-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान।
(7) नोडल अधिकारी को शासनादेश अपलोड कराने हेतु।
(8) आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राज कुमार सिंह)
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।